114

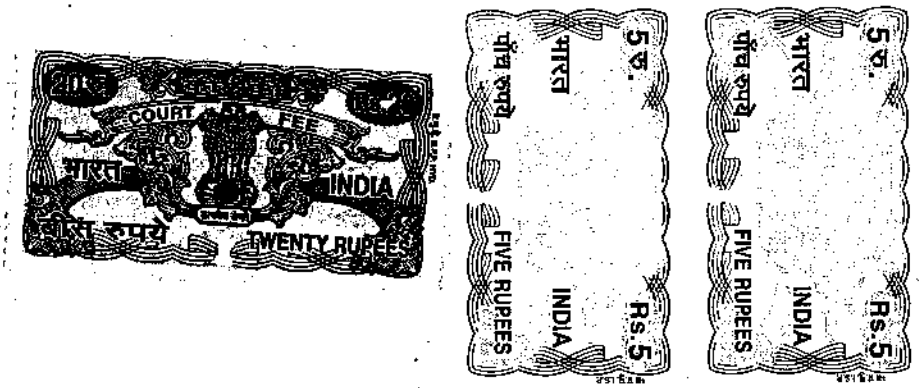

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अपील प्रंकरण क्रमांक /2016 जिला–छतरपुर अपील–8003–PBR–16

मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड, सेहतगंज, जिला–रायसेन (म.प्र.) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

1– आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर

2– सहायक आबकारी आयुक्त जिला रायसेन, ग्वालियर, छतरपुर, खरगौन

3– जिला आबकारी अधिकारी धार/राजगढ

.... प्रत्यर्थीगण

न्यायालय/कार्यालय आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)/2015–16/3537 में पारित आदेश दिनांक 31.08.2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 के अन्तर्गत बने अपील रिवीजन तथा रिव्यू नियमों के पैरा (2) सी के अन्तर्गत अपील।

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

1– यहकि, वर्ष 2005–06 में राज्य के कुछ देशी मदिरा भाण्डागारों के उन्नयन एवं वाटर सॉफ्टनर प्लॉट की स्थापना हेतु विभाग के द्वारा कुल राशि रूपये 29.38 लाख का आवंटन किया गया था। आवंटित राशि में से निम्न देवास, नरसिंहगढ, जिला राजगढ ,मंदसौर, बडवानी, खरगौन, बडवाह जिला खरगौन महू जिला इन्दौर, झाबुआ, खण्डवा, दमोह, ग्वालियर, दतिया, छतरपुर भाण्डागारों पर व्यय किया गया था।

2– यहकि, वर्ष 2005–06 से वर्ष 2014–15 तक 10 वर्षो की अवधि में उक्त राशि भाण्डागारों की किराये में वृद्धि कर वसूल की जानी थी। इस संबंध में महालेखाकार दल ने उक्त राशि की वसूली की संबंधित प्रदाय संविदाकारो से न करने की आपत्ति ली है। उक्त आपत्ति के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय/कार्यालय आबकारी आयुक्त म.प्र. ग्वालियर द्वारा कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

3– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय/कार्यालय आबकारी आयुक्त मध्य प्रदेश ग्वालियर द्वारा महालेखाकार दल की आपत्ति के आधार पर कार्यवाही प्रारंभ कर अपीलार्थी को सूचना सुनवाई एवं साक्ष्य का कोई भी अवसर दिये बिना ही अपने आदेश दिनांक 31.08.2015 से अपीलार्थी कम्पनी पर वसूली योग्य राशि रूपये 4.23860/– का आदेश पारित किया। जबकि ऐसा आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्दांतो के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टि में ही अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ/कार्यालय इसी आदेश से व्यथित होकर

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक– अपील 8003–पीबीआर/16 जिला– रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18–2–16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह अपील आबकारी आयुक्त के प्रकरण/पृष्ठांकन कमांक/5(1)2015–16/3537 में पारित आदेश दिनांक 31–8–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । उक्त आदेश वॉटर साफ्टनगर प्लॉट, देवास स्थापित किए जाने में व्यय की गई राशि की वसूली के संबंध में है । 2/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश तथा अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आलोच्य आदेश आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी कंपनी को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित किया गया है । माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनेक न्यायदृष्टांतों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था या कंपनी को सुनवाई का अवसर तथा साक्ष्य का अवसर दिए बिना आदेश पारित किया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है । अतः आलोच्य आदेश जहां तक अपीलार्थी कंपनी (प्रदाय संविदाकार – मेसर्स सोम डिस्टलरी प्रा0लि0 रायसेन) का संबंध है उस सीमा तक अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण आबकारी	

अपी. 8003. PBR/16 जिला- रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि[illegible] आदि के हस्ताक्षर
	आयुक्त को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है अपीलार्थी कंपनी को सुनवाई तथा साक्ष्य का विधिवत अवसर प्रदान कर प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर करें । यह आदेश अपीलार्थी कंपनी सोम डिस्टलरीज प्रा0लि0, रायसेन के हितों तक प्रभावशील होगा । उक्त निर्देश के साथ यह अपील निराकृत की जाती है । सदस्य	